19

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 98-दो/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 17-10-2013 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 843/2011-12 अपील

श्रीमती उर्मिला पत्नि बबलू साकेत पुत्री शिवनाथ
ग्राम पिपरोहर, तहसील गोपदबनास जिला सीधी --आवेदक

विरूद्ध

1- सुश्री रामरती पुत्री करण साकेत ग्राम पिपरोहर
हाल मुकाम साकिन मुठिगवॉ तहसील गोपदबनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश
2- मध्य प्रदेश शासन -----अनावेदकगण

(आवेदक के श्री यादवेन्द्र पाण्डेय अभिभाषक)

(अनावेदक-1 के श्री आर0डी0कुशवाह अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 11-01-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 843/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-10-13 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र-1 ने तहसीलदार गोपदबनास के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम पिपरोहा स्थित भूमि सर्वे नंबर 1002 रकबा 2-54 एकड़, सर्वे क्रमांक 1082 रकबा 0.10 एकड़, सर्वे नंबर 992 रकबा 0.93 एकड़ उसके पिता शिवनाथ के नाम सहखाते पर अभिलिखित थी । पिता की मृत्यु लगभग 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिनकी वारिस स्वयं एंव भाई शिवनाथ थे किन्तु शिवनाथ की 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने से एकमात्र वारिस है किन्तु आवेदक व्दारा जबरजस्ती मेरी जमीन लूटी जा रही है इसलिये वारिसाना नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार गोपदबनास ने प्रकरण क्रमांक 118 अ-6/2011-12

पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 27-6-11 पारित किया तथा मुस. सुगवा वेवा करना के साथ अनावेदक का नामांत्रण करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने प्रकरण क्रमांक 222/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-12 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार गोपदबनास का आदेश दिनांक 27-6-11 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 843/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-10-13 से अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का आदेश 30-4-12 निरस्त करते हुये तहसीलदार गोपदबनास का आदेश दिनांक 27-6-11 यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से स्थिति यह है कि तहसीलदार गोपदबनास ने आदेश दिनांक 27-6-11 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" संपूर्ण प्रकरण के अध्ययन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच व अन्य लोगों ने आवेदिका रामरती को करना साकेत की पुत्री मान्य किया है और खसरा वर्ष 1982-83 लायत 86-87 से स्प-ट है कि करना साकेत वाद भूमियों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज था ऐसी स्थिति में वारिसाना नामान्तरण में करना साकेत के स्थान पर शिवनाथ के पिता करना मुस. सुवा वेवा करना के साथ साथ पुत्री रामरती का नाम दर्ज होना चाहिये । "

तहसीलदार गोपदबनास का आदेश दिनांक 27-6-11 को अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर निरस्त किया है :-

" मूल पुरूष करण साकेत की मृत्यु पश्चात् भूमियॉ नये सिरे से नामांत्रित होकर उक्त करण के पुत्र शिवनाथ एंव विधवा पत्नि मु.सुगवा के नाम दर्ज हो चुकी एंव मुस. सुगवा के बजाय उर्मिला पति बब्बू साकेत का नाम अभिलेख में अंकित हो चुका है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश पारित होने के दिनांक को अपीलाधीन भूमियों का भूमिस्वामी करण अभिलेख में दर्ज नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन भूमियों का नामान्तरण पूर्व में ही हो चुका है। "

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 17-10-13 से अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का

आदेश दिनांक 30 अपेल 2012 इस आधार पर निरस्त किया है -

" अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपने आदेश दिनांक 30-4-12 में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलाधीन भूमियों का नामान्तरण पूर्व में ही हो चुका है जिसे रीओपिन नहीं किया जा सकता किन्तु पूर्व में कौन सा नामान्तरण आदेश किस आधार पर हुआ है प्रकरण क्रमांक एंव आदेश दिनांक का उल्लेख नहीं है। उत्तरवादी व्दारा कोई ऐसे दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रश्नाधीन भूमियों का पूर्व में नामान्तरण हो चुका है। तहसीलदार व्दारा हलका पटवारी से स्थल प्रतिवेदन आहुत कर विधि अनुसार वारिसाना नामांत्रण का आदेश दिया गया है जो उचित है। "

तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अययून करने पर प्रतीत होता है कि जब पूर्व में हुये नामान्तरण का प्रकरण एंव आदेश दिनांक अथवा पुष्टिकरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने में आवेदक असफल रही है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 17-10-13 से अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के अनुमानों के आधार पर पारित आदेश दिनांक 30-4-12 को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनॉक 27-6-11 से वारिसाना आधार पर किये गये नामान्तरण को यथावत् रखा है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। यदि आवेदक वादग्रस्त भूमि में स्वयं का स्वत्व एंव हक होना बताती है अथवा पूर्व में हुये नामान्तरण से स्वत्व होना बताती है तब उसे स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराने का उपचार प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 843/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-10-13 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर